अतिमहत्वपूर्ण / ई–मेल / अन्तिम अनुस्मरण

Phone & Fax:– 0135–2530467, 2530431

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
व्यवस्थापन "ग" वर्ग
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D. DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-www.pwd.uk.gov.in **E-Mail-eicpwduk@nic.in**

पत्रांक– 160 / 16व्यग–अधि0–उ0 / 2018 दिनांक–22 / 01 / 2019

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
.... खण्ड, लो0नि0वि0
.... ।

विषयः– **खण्डीय संवर्ग में कनिष्ठ सहायकों की वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु बन्ध पत्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **इस कार्यालय का पत्र संख्या– 1535 / 16व्यग–अधि0–उ0 / 2018 दिनांक–31.12.2018 एवं पत्र संख्या– 78 / 16व्यग–अधि0–उ0 / 2018 दिनांक–14.01.2019।**

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके द्वारा सूचित किया गया था कि "स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा–19 के अनुसार कनिष्ठ सहायक की वरिष्ठ सहायक में पदोन्नति हेतु न्यूनतम अर्हकारी सेवा का आधा भाग दुर्गम में करना अनिवार्य है। यदि कार्मिक द्वारा ऐसा आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नही किया गया हो तो प्रोन्नति पर तभी विचार किया जायेगा, जब वह यह बन्ध पत्र दे कि ऐसा भाग पूरा होने की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा।" उक्त सम्बन्ध में इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–31.12.2018 द्वारा निर्धारित 'बन्ध पत्र' का प्रारूप संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था कि सन्दर्भित पत्र में उल्लेखित सूची के कॉलम 4, 5 व 6 पर अंकित विवरण के सही होने की पुष्टि करते हुए सम्बन्धित कनिष्ठ सहायक द्वारा यदि अर्हकारी सेवा 06 वर्ष का न्यूनतम आधा भाग दुर्गम स्थान पर व्यतीत नहीं किया गया है तो उक्त कार्मिक से यह बंध पत्र प्राप्त कर दिनांक–10.01.2019 तक विशेष वाहक के माध्यम से उपलब्ध कराये कि ऐसा भाग पूरा होने तक की अवधि तक वह अनिवार्य रूप से दुर्गम स्थान पर तैनात रहेगा। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराया गया था कि यदि कार्मिक द्वारा बंध पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा। निर्धारित तिथि तक कुछ ही कार्मिकों के बन्ध पत्र इस कार्यालय में प्राप्त हुए थे, जिस कारण इस कार्यालय के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक–14.01.2019 द्वारा एक और अवसर प्रदान करते हुए दिनांक–16.01.2019 तक बन्ध पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त क्रम में अनुस्मरण कराये जाने के उपरान्त भी कतिपय कार्यालयों द्वारा वांछित बन्ध पत्र/आख्या आतिथि तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। **अतः अन्तिम बार अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण पर व्यक्तिगत ध्यान देते हुए वांछित आख्या एवं बन्ध पत्र मूल में विशेष वाहक के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक–30.01.2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि तदनुसार पात्र कार्मिकों की पदोन्नति की कार्यवाही की जा सके। प्रश्नगत बंध पत्र रू0 50.00 के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित कराना होगा। यदि निर्धारित तिथि दिनांक–30.01.2019 तक वांछित बन्ध पत्र उपलब्ध नहीं कराये जाते हैं तो ऐसे कार्मिकों की चयन वर्ष 2018–19 में पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस हेतु सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं सम्बन्धित कार्मिक का होगा। उक्त कार्यवाही स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अधीन की जा रही है। यदि बन्ध पत्र के अभाव में किन्ही पात्र कार्मिक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाता है तो ऐसे कार्मिक का पदोन्नति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।**

(सत्येन्द्र शर्मा)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सन्दर्भित पत्रों के अनुरूप सम्बन्धित खण्डों को अपने स्तर से बन्ध पत्र/आख्या इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करें–

1. मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 .... ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, ... वां वृत्त, लो0नि0वि0 .... ।
3. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0 देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि पत्र विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

22.1.19
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
22.1.19

16 yaga